न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : घनश्याम शर्मा, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 149/2019
निर्णय दिनांक : 04/09/2020

1. रामफूल पुत्र स्व0 लाला जाति मीणा
2. रामस्वरूप पुत्र स्व0 लाला जाति मीणा
3. श्रीमती गुलाब देवी धर्मपत्नी स्व0 नानगराम जाति मीणा
4. शंकर पुत्र स्व0 नानगराम जाति मीणा
5. रामावतार पुत्र स्व0 नानगराम जाति मीणा

समस्त निवासीगण ग्राम श्रीराम की नांगल तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. नानगराम पुत्र स्व0 सुखा जाति मीणा
2. हरिनारायण पुत्र स्व0 सुखा जाति मीणा
3. हनुमान पुत्र स्व0 उदयलाल जाति मीणा
4. राजाराम पुत्र स्व0 उदयलाल जाति मीणा
   समस्त निवासीगण ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, पता– तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद पत्र बाबत विनियम एंव घोषणा अन्तर्गत धारा 48, 88 व 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से एक वाद पत्र न्यायालय में पेश किया। वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 496 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 498 रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.11 हैक्टयर कुल किता 20 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.34 हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 4/69 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या एक व दो रामफूल व रामस्वरूप के नाम से एंव सम्पूर्ण में हिस्सा 2/69 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या तीन लगायत पांच श्रीमती गुलाब देवी, शंकर व रामावतार के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला [illegible] तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 482/614 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर [illegible] हैक्टयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 598/631 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 600/630 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

601/629 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 602/628 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 603/627 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.16 हैक्टयर कुल किता 27 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 4.43 हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 4/69 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या एक व दो रामफूल व रामस्वरूप के नाम से एंव सम्पूर्ण में हिस्सा 2/69 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या तीन लगायत पांच श्रीमती गुलाब देवी, शंकर व रामावतार के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 411 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 412 रकबा 1.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.74 हैक्टयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.76 हैक्टयर कुल किता 04 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.69 हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 4/69 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या एक व दो रामफूल व रामस्वरूप के नाम से एवं सम्पूर्ण में हिस्सा 2/69 भाग की खातेदारी वादीगण श्रीमती गुलाब देवी, शंकर व रामावतार के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 434 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 589 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.45 हैक्टयर कुल किता 06 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.37 हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 4/69 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या एक व दो रामफूल व रामस्वरूप के नाम से एंव सम्पूर्ण में हिस्सा 2/69 भाग की खातेदारी वादीगण संख्या तीन लगायत पांच श्रीमती गुलाब देवी, शंकर व रामावतार के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

यह कि ग्राम श्रीराम की नांगल अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 23 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 3.61 हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 2/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या एक व दो नानगराम व हरिनारायण के नाम से एंव सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 1/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार हनुमान व राजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। तथा ग्राम श्रीराम की नांगल अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 508 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.26 हैक्टयर कुल किता 02 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.80 हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 2/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या एक व दो नानगराम व हरिनारायण के नाम से एंव सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 1/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार हनुमान व राजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

तथा ग्राम श्रीराम की नांगल अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 825 रकबा 0.36 हैक्टयर कुल किता 01 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.36 हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 2/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या एक व दो नानगराम व हरिनारायण के नाम से एंव सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 1/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार हनुमान व राजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा ग्राम श्रीराम की नांगल अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नम्बर 507 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 803 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1046 रकबा 0.03 हैक्टयर कुल किता 09 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.61

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टयर स्थित है। इस उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 2/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या एक व दो नानगराम व हरिनारायण के नाम से एवं सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 1/5 भाग की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या तीन व चार हनुमान व राजाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है।

वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार द्वारा निष्पादित उपरोक्त वर्णित बदल पत्र कृषि भूमि के बाबत प्रतिवादी संख्या पांच ने अपने आदेश क्रमांक 2321–22 दिनांक 01–07–2019 द्वारा विनियम हेतु स्वीकृति भी प्रदान कर रखी है तथा उक्त बदल पत्र कृषि भूमि कार्यालय उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय के यंहा पर दिनांक 01–07–2019 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 416 में पृष्ठ संख्या 71 कम संख्या 201903025102430 पर पंजीबद्ध एंव अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1661 के पृष्ठ संख्या 411 से 426 पर चस्पा किया हुआ है। उपरोक्त वर्णित विनिमय के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार अपने–अपने हक एंव अधिकार में आई कृषि भूमि का बिना किसी दखल या आग्रह के एकमात्र स्वामी के रूप में उपयोग एंव उपभोग कर रहे है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त पंजीबद्ध बदल पत्र कृषि भूमि के अनुसार कई मर्तबा निवेदन किया जा चुका है कि वादीगण के हक में आयी कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें तथा प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के हक में आयी कृषि भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें किन्तु प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार वादीगण के साथ लगातार टाल–मटोल कर रहे है। वादीगण द्वारा कई मर्तबा प्रतिवादी संख्या पांच को भी उक्त पंजीबद्ध बदल पत्र कृषि भूमि के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के मध्य में आपस में अदल–बदल की गई कृषि भूमि बाबत वर्तमान जमाबन्दी में नाम अंकित किये जाने हेतु निवेदन किया जा चुका है किन्तु प्रतिवादी संख्या पांच द्वारा प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के प्रभाव में आकर एंव तकनीकी कारणों का हवाला देकर ऐसा नही किया जा रहा है तथा प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाकर इसे अन्यत्र हस्तान्तरित कर दिये जाने का वादीगण को पूर्ण अंदेशा है, इस कारण वादीगण को विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद वास्ते विनिमय एंव घोषणा पेश करना लाजमी हुआ है। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के मध्य सम्पादित पंजीबद्ध बदल पत्र कृषि भूमि दिनांकीत 28 जून सन् 2019 को स्वीकृत करने हुए वादीगण के हक में विनिमय की गयी भूमि जिसका सम्पूर्ण विवरण वाद पत्र की मद संख्या 11 (ख) में दिया हुआ है, के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी अनुरूप प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के हक में विनियम की गयी भूमि जिसका विवरण वाद पत्र की मद संख्या 10 (क) में दिया हुआ है, के अनुसार प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर अमल दरामद किया जावें।

वकील वादी ने दस्तावेज सूची के साथ असल आदेश दिनांक 01–07–2019 कार्यालय तहसीलदार, तहसील सांगानेर जिला जयपुर, असल पंजीबद्ध बदल पत्र कृषि भूमि दिनांकीत 28–06–2019 प्रमाणित प्रतियां जमाबन्दी दिनांक 05–11–2019 पेश किये, जो शामिल पत्रावली है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार की ओर से श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया, प्रतिवादी संख्या पांच की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा प्रतिवादी संख्या पांच की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया, वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार द्वारा प्रकरण में दिनांक 27–08–2020 को राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पक्षकारान् को राजीनामा पर सुना गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद पत्र एवं राजीनामा में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा अनुसार वादीगण को एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार को वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया तथा प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार ने भी उक्त राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए राजीनामा अनुसार प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार एवं वादीगण को वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर होता है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के मध्य आपसी सहमति से दिनांक 28–06–2019 को वादपत्र में वर्णित भूमि का विनिमय किया गया है तथा उक्त विनिमय के बाबत प्रतिवादी

संख्या पांच तहसीलदार सांगानेर के यहा पर नियमानुसार स्वीकृति चाहने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर प्रतिवादी संख्या पांच तहसीलदार सांगानेर ने अपने आदेश कमांक/मू0अ0/2321–22 दिनांक 01–07–2019 में धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि विनिमय किये जाने की एतद् द्वारा स्वीकृति प्रदान की है तथा उक्त स्वीकृति के अनुसार वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के मध्य निष्पादित बदल पत्र कृषि भूमि का दस्तावेज उप पंजीयक सांगानेर द्वितीय के यहा पर नियमानुसार दिनांक 01–07–2019 को पंजीबद्ध किया गया है तथा वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के मध्य राजीनामा पत्रावली पर प्रस्तुत हो चुका है तथा पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में भी इस बाबत कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है।

उक्त विवेचन एंव जवाब सरकार एंव राजीनामा के आधार पर स्पष्ट है कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के मध्य सम्पादित पंजीबद्ध बदल पत्र कृषि भूमि दिनांकीत 28–06–2019 प्रतिवादी संख्या पांच तहसीलदार सांगानेर की लिखित स्वीकृति दिनांक 01–07–2019 के पश्चात् पंजीबद्ध किया गया है तथा प्रतिवादी संख्या पांच तहसीलदार सांगानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 01–07–2019 एंव पंजीबद्ध दस्तावेज बदल पत्र कृषि भूमि दिनांक 28–06–2019 एंव राजीनामा के आधार पर वादीगण के हक में विनिमय की गयी कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार एंव प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार के हक में विनिमय की गयी कृषि भूमि का प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते है।

उपर्युक्त विवेचन एंव पक्षकारान् के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम श्रीराम की नांगल पटवार हल्का श्रीराम की नांगल भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 509 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1037 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1038 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1039 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1040 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1041 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1047 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1048 रकबा 0.32 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1049 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.35 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1051 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1053 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1054 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1055 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1056 रकबा 0.16 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1057 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1060 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1061 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 23 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 3.61 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 3/5 में से हिस्सा 7/12 भाग की भूमि सम्पूर्ण को एंव खसरा नम्बर 508 रकबा 0.54 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.26 हैक्टयर कुल किता 02 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.80 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 3/5 में से हिस्सा 7/12 भाग की भूमि सम्पूर्ण को एंव खसरा नम्बर 825 रकबा 0.36 हैक्टयर कुल किता 01 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.36 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 3/5 में से हिस्सा 7/12 भाग की भूमि सम्पूर्ण को एंव खसरा नम्बर 507 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 603 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 916 रकबा 0.06 हैक्टयर, खसरा नम्बर 917 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1042 रकबा 0.02 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1043 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1044 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 1045 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नम्बर 1046 रकबा 0.03 हैक्टयर कुल किता 09 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 0.61 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 1/3 में हिस्सा 3/5 में से हिस्सा 7/12 भाग की भूमि सम्पूर्ण वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ग्राम श्योसिंहपुरा उर्फ कल्लावाला पटवार हल्का [illegible] लपुरा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिकारपुरा तहसील सांगानेर [illegible] 488 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नम्बर 489 [illegible] रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 497 रकबा 0.15 हैक्टयर, [illegible] रकबा 0.19 हैक्टयर, खसरा नम्बर 502 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 503 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 505 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 507 रकबा 0.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 508 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 511 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 512 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 516 रकबा 0.10 हैक्टयर, खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 517 रकबा 0.11 हैक्टयर कुल किता 20 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.34 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 6/69 भाग में से हिस्सा 3/5 भाग की भूमि सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 482/614 रकबा 0.09 हैक्टयर, खसरा नम्बर 483 रकबा 0.55 हैक्टयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.46 हैक्टयर, खसरा नम्बर 485 रकबा 0.29 हैक्टयर, खसरा नम्बर 486 रकबा 0.13 हैक्टयर, खसरा नम्बर 487 रकबा 0.08 हैक्टयर, खसरा नम्बर 495 रकबा 0.40 हैक्टयर, खसरा नम्बर 504 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 552 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 553 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 556 रकबा 0.11 हैक्टयर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 561 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 562 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 565 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 566 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 577 रकबा 0.14 हैक्टयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0.18 हैक्टयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.22 हैक्टयर, खसरा नम्बर 598/631 रकबा 0.15 हैक्टयर, खसरा नम्बर 599 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 600/630 रकबा 0.12 हैक्टयर, खसरा नम्बर 601/629 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 602/628 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 603/627 रकबा 0.05 हैक्टयर, खसरा नम्बर 604 रकबा 0.07 हैक्टयर, खसरा नम्बर 605 रकबा 0.16 हैक्टयर कुल किता 27 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 4.43 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 6/69 भाग में से हिस्सा 3/5 भाग की भूमि सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 411 रकबा 0.02 हैक्टयर गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 412 रकबा 1.17 हैक्टयर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.74 हैक्टयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.76 हैक्टयर कुल किता 04 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.69 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 6/69 भाग सम्पूर्ण में हिस्सा 3/5 भाग की भूमि सम्पूर्ण एंव खसरा नम्बर 434 रकबा 0.61 हैक्टयर, खसरा नम्बर 551 रकबा 0.45 हैक्टयर, खसरा नम्बर 588 रकबा 0.28 हैक्टयर, खसरा नम्बर 589 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नम्बर 594 रकबा 0.31 हैक्टयर, खसरा नम्बर 595 रकबा 0.45 हैक्टयर कुल किता 06 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 2.37 हैक्टयर सम्पूर्ण में हिस्सा 6/69 भाग में से हिस्सा 3/5 भाग की भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादीगण संख्या एक लगायत चार को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी जारी हो।

तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार सांगानेर को निर्णय एंव डिकी की प्रति प्रमाणित कर पालना हेतु तहरीर के साथ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.09.2020 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2022.03.16 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested